



केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



परिशिष्ट-XIII

सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता स्थिति के प्रमाण पत्र के लिए प्रपत्र

क्रमांक:

दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि नगर पालिका परिषद बिलारी (विभाग/कार्यालय का नाम) से संजय कुमार एकलव्य, हुकूम सिंह (पदनाम के साथ अधिकारियों का नाम) की अध्यक्षता वाली एक निरीक्षण टीम ने 29/08/23 (निरीक्षण की तारीख) को सिल्वर ओक एकादमी बिलारी (स्कूल का नाम और पता) का निरीक्षण किया और पाया कि सिल्वर ओक एकादमी (स्कूल का नाम) में संस्थान के छात्रों और कर्मचारियों के सदस्यों के लिए सुरक्षित पेयजल की सुविधा है और इसमें केंद्र/राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार स्कूल भवन और परिसर में स्वास्थ्यकर स्वच्छता/सफाई की स्थिति बनाकर रखी गई है।

उपरोक्त प्रमाण पत्र 01 वर्ष की अवधि के लिए मान्य है।

मुहर के साथ हस्ताक्षर: -----

राजनी सिंह अधिकारी

नाम:-----

राजनी सिंह

नगर पालिका परिषद बिलारी
(मुरादाबाद)

पदनाम:-----

अधिशासी अधिकारी


विभाग/कार्यालय का नाम एवं पता :

नगर पालिका परिषद बिलारी

सेवा में,

सिल्वर ओक एकादमी बिलारी

(संस्थान का नाम एवं पता)





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा विभाग, भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्थान)
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)



*भरा हुआ प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी में होना चाहिए। यदि यह स्थानिक भाषा में जारी किया जाता है, अंग्रेजी में अनुवादित नोटरीकृत संस्करण को मूल स्थानिक भाषा के प्रमाण पत्र के साथ एकल पीडीएफ के रूप में अपलोड किया जाना चाहिए।

